परिपत्र संख्या 54/28/2018 -जीएसटी

फाइल संख्या 354/255/2018-टीआरयू (पार्ट-2)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(कर अनुसंधान इकाई)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 9 अगस्त, 2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/महानिदेशक/प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क (सभी);

महोदया/महोदय,

विषय: अन्य उर्वरकों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले उर्वरकों का 5% की जीएसटी दर के अंतर्गत वर्गीकरण

ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें इस बात का स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या सामान्य उर्वरकों (ऐसे उर्वरक जिनको उर्वरक के रूप में ही प्रयोग किए जाने के लिए क्लीयर किया गया हो) पर लागू 5% की जीएसटी की रियायती दर उन साधारण उर्वरकों जैसे कि एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश), जिसका वर्गीकरण अध्याय 31 में किया गया है और जिनका प्रयोग कॉम्पलैक्स फर्टीलाइजर के विनिर्माण में किया जाता हो, पर भी लागू होती है ।

2.1 इस मामले पर विचार किया गया है। ये उर्वरक सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 31 के अंतर्गत आते हैं । इन उर्वरकों का ज्यादातर प्रयोग मृदा और भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए या तो सीधे तौर पर या कॉम्पलैक्स उर्वरकों के विनिर्माण में किया जाता है । यद्यपि, कुछ उर्वरक और इसी प्रकार के पदार्थ जो कि इस अध्याय के अंतर्गत आते हों का व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग होता है जैसे कि मॉल्टेन यूरिया का प्रयोग मेलामाइन के विनिर्माण में होता है, और यूरिया का प्रयोग यूरिया-फार्मेल्डिहाइड रेजिन्स या आर्गेनिक सेन्थेसिस में भी प्रयोग होता है ।

2.2 जीएसटी की व्यवस्था के पहले, टैरिफ के अध्याय 31 के अंतर्गत आने वाले उर्वरकों पर शुल्क की रियायती दर लगाई जाती थी (अधिसूचना संख्या 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) । ये रियायती दर अध्याय 31 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर भी लागू होती थी जिनका

प्रयोग स्पष्ट रूप से सीधे उर्वरकों के रूप में होता था या जो अन्य उर्वरकों के विनिर्माण में भी प्रयोग किए जाते थे , चाहे ये सीधे तौर पर या मध्यवर्ती उत्पाद के स्तर पर प्रयोग किए जाते हों ।

3. इस जीएसटी की व्यवस्था के अंतर्गत उर्वरकों पर कर की संरचना वही रखी गई है जो जीएसटी के पूर्व की व्यवस्था में थी । जीएसटी की अधिसूचनाओं की शब्दावली, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं की शब्दावली की तरह ही है । केवल जीएसटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ परिवर्तन किए गए हैं । इस प्रकार के परिवर्तन इसलिए जरूरी थे कि जीएसटी वस्तुओं की आपूर्ति पर लागू होती है जबकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वस्तुओं के विनिर्माण पर लागू होता था । तद्नुसार शीर्ष 3102, 3103, 3104 और 3105 के अंतर्गत आने वाले उर्वरकों पर, उनसे भिन्न जो कि स्पष्ट रूप से उर्वरक के प्रयोग के लिए नहीं हैं, 5% की जीएसटी लगती है {अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017 की प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 182क से 182घ} । हालांकि, उन शीर्ष के अंतर्गत आने वाले उर्वरकों पर, जो कि पहले से ही उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, 18% की जीएसटी लगती है {अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) की अनुसूची-।।। के क्रम संख्या 42 से 45} । इसके पीछे उद्देश्य यह है कि उन उर्वरकों पर जीएसटी की रियायती दर लगाई जाए जो कि सीधे तौर पर उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या जिनका प्रयोग, कॉम्पलैक्स फर्टिलाईजर के रूप में किया जाता है और बाद में जिनका प्रयोग मृदा या फसल उर्वरकों के रूप में किया जाता है । यह शब्दावली कि "*स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले से भिन्न*" के दायरे में ऐसे उर्वरक नहीं आएंगे जिनका प्रयोग उन कॉम्पलैक्स फर्टिलाइजरों के विनिर्माण में किया जाता है जो कि मृदा और फसल उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ।

4. इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि सीधे तौर पर उर्वरकों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरकों पर, या कृषि के उपयोग (मृदा या फसल उर्वरक) के लिए अन्य कॉम्पलैक्स उर्वरकों के विनिर्माण हेतु उर्वरकों पर 5% की आईजीएसटी लगेगी ।

भवदीय,

(डॉ. अजय कुमार)
तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)